तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1776 / 2004 / सीकर** **भगवाना बनाम मूंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.10.2019	**एकल पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजयपाल डिढारिया, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 84/2003 शीर्षक "मूंगाराम बनाम भगवाना" में पारित आदेश दिनांक 24–04–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षिप्ति तथ्यों के अनुसार वादी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30–4–2003 से वादी का वाद डिक्री किया। अप्रार्थी संख्या–1 मूॅगाराम ने उक्त डिक्री को निरस्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18–7–2003 से इस आवेदन को अस्वीकार किया। दिनांक 30–4–2003 की डिक्री को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी मूंगाराम द्वारा अपील पेश की और इसके साथ में मियाद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया। धारा 5 पर प्राथमिक आपत्ति वर्तमाना निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निगरानीधीन निर्णय से इस प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया है और अपील अन्दर मियाद शुमार की गई है। उभय पक्षीय अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सहायक जिलाधीश, खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2003 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 22–7–2003 को निर्धारित मियाद समय सीमा के बाहर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1776 / 2004 / सीकर** **भगवाना बनाम मूंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेश की गई थी जो कि मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य थी। योग्य अधिवक्ता का बहस में तर्क रहा है कि अपीलार्थी/गैर निगराकारान को निर्णय व डिक्री दिनांक 30-4-2003 के बारे में स्पष्ट जानकारी थी और इसकी इससे भी पुष्टि होती है कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया गया था जो दिनांक 18-7-2003 को खारिज हुआ था। अपीलार्थी/गैर निगराकारान पर विधिवत रुप से सम्मन तामील हुये हैं। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18-6-2003 को नकलें प्राप्त होने का कथन किया है किन्तु फिर भी अपील 22-7-2003 को पेश की है और उक्त अवधि का कोई वर्णन प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की यह फाइंडिंग भी रिकार्ड के विपरीत है कि अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से उसे निर्णय की जानकारी नहीं थी। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/गैर निगराकारान को वादपत्र के बारे मे ंपूर्ण जानकारी थी। अतः धारा 5 के सम्बन्ध में वे किसी प्रकार से सहानुभूति के पात्र नहीं रहते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से प्रकरण को अंदर मियाद मानने का आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्षेत्राधिकार का सदुपयोग सही प्रकार से नहीं किये जाने से निगरानीधीन निर्णय को निरस्त किया जाये और निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाये। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि निर्णय दिनांक 30-4-2003 प्रतिवादीगण के विरुद्ध इकतरफा में पारित किया गया है और इसकी जानकारी दिनांक 17-6-2003 को हुई है, अतः जानकारी के दिवस से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी गई है। एकपक्षीय डिक्री में किसी प्रकार की मियाद लागू नहीं होती है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए अपील के साथ में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया है जिसमें देरी के कारण विस्तार से अंकित किए गए हैं और इसके साथ में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वादी/प्रार्थी पक्ष ने इसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः शपथ पत्र संलग्न होने से धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को असत्य नहीं माना जा सकता है। दावा दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का है और प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि में सह खातेदार अभिलिखित हैं। प्रकरण में गुणावगुण पर सार होने से मियाद जैसे तकनीकी कारणों के बजाए गुणावगुण पर निस्तारण श्रेयस्कर होगा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का विवेकीय सदुपयोग करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित कर प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई हेतु नियत किया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1776 / 2004 / सीकर** **भगवाना बनाम मूंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, खण्डेला के न्यायालय में वाद संख्या 1215/2002 शीर्षक भगवाना बनाम मूँगा में दिनांक 30–4–2013 को वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनते हुये प्रकरण को निर्णित किया गया है। सहायक जिलाधीश, खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2003 के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 22–7–2003 को प्रस्तुत करना स्पष्ट है, जो कि निर्धारित समय सीमा के बाहर थी। अपील देरी से पेश करने के कारणों को अपीलार्थी ने अपील के साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है और इसके साथ में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें देरी का कारण अंकित किया गया है कि सहायक जिलाधीश, खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2003 की जानकारी उसे दिनांक 17–6–2003 को हल्का पटवारी से हुई है। चूँकि परीक्षण न्यायालय निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2003 प्रतिवादी/गैर निगराकार के विरुद्ध इकतरफा में पारित किए गए हैं, अतः प्रार्थी के इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसे निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 17–6–2003 को हुआ हो। अतः जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर मियाद समय सीमा रही है। प्रकरण में परीक्षण से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में निहित वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी अभिलिखित सह खातेदार हैं और वादपत्र दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का रहा है। जहॉ प्रकरण में सार हो वहॉ प्रकरण को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर निस्तारित करने की बजाये गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2002(1) पेज 53 तथा आर.बी. जे. (23) 2016 पेज 678 में इसी आशय का मत प्रतिपादित किया गया है। न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में माननीय उच्च न्यायलाय ने मियाद के बिन्दु पर निम्न प्रकार से मत प्रतिपादित किया हैः–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case -
>
> Legality of- Held, now it must be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1776 / 2004 / सीकर** **भगवाना बनाम मूंगाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुये विस्तृत रुप से विवेचन करते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर तय करने का न्यायोचित आदेश पारित किया है। निगरानीधीन निर्णय में हमें ऐसी कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि किया जाना या अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर न्यायिक विवेक का सदुपयोग नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई भूल होना प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से, निगरानी **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के अधिवक्तागण को दी गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	